UPMP040068252026

न्यायालय C.J.M., Mainpuri

पीठासीन अधिकारी– (VIMLESH SAROJ) - **उ०प्र० न्यायिक सेवा – UP02379**

Criminal Misc. Cases/916/2026

राज्य बनाम अजीत कुमार

दिनांक–02.04.2026

आवेदक अजीत कुमार की ओर से अपराध संख्या 344/2025 अंतर्गत धारा 281, 324(4) बी.एन.एस. थाना बेवर, जिला मैनपुरी के प्रकरण में प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि वह वाहन संख्या यू.पी.84 ए.वी. 0790 का पंजीकृत स्वामी है। उक्त वाहन थाना परिसर में खड़ा हुआ है। उक्त वाहन के थाने पर खुले में खड़े रहने से उसके खराब होने की संभावना है। अतः याचना की गयी है कि उक्त वाहन को रिलीज करने की कृपा करें।

सुना। अभियोजन अधिकारी व थाने की आख्या का अवलोकन किया गया, जिसके अनुसार उक्त वाहन का तकनीकी परीक्षण एवम धारा 203 ए एम.वी.एक्ट का अनुपालन कराया जा चुका है। वाहन माल मुकदमाती है। रिलीज का विरोध है।

कथन के समर्थन में मूल आर.सी., बीमा व डी.एल. को प्रस्तुत किया गया है।

प्रश्नगत वाहन थाने पर निरूद्ध रहने से उसकी उपयोगिता में ह्रास होने एवं उसके खराब होनें की संभावना है। निर्णय विधि सुन्दर भाई अम्बालाल देसाई बनाम गुजरात राज्य 2003(46) ए.सी.सी 223 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि न्यायालय में निरूद्ध सम्पत्ति मामलों को विधिपूर्वक अतिशीघ्र निस्तारित करने का प्रयास करना चाहिये।

अतः उक्त विवेचित तथ्यों एवं माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा उपरोक्त निर्णय विधि में पारित दिशा निर्देश के प्रकाश में प्रश्नगत वाहन को प्रार्थी के पक्ष में निम्नांकित शर्तों के अधीन सुपुर्दगी में दिया जाना न्यायोचित होगा।

आदेश

पंजीकृत स्वामी द्वारा मुव. 90,000/– रूपए **(नब्बे हजार रूपए मात्र) का व्यक्तिगत बंध–पत्र व इसी राशि की एक प्रतिभू** एवं इस आशय की अण्डरटेकिंग प्रस्तुत करने पर कि वह वाहन संख्या यू.पी.84 ए.वी. 0790 को न्यायालय द्वारा तलब किए जाने पर उसे न्यायालय के समक्ष अपने खर्चे पर प्रस्तुत करेगा। उसे न तो किसी अन्य के पक्ष में अंतरित करेगा और न ही खुर्द–बुर्द करेगा तथा न्यायालय की अनुमति के बगैर उसे न तो बेचेगा न ही उसके स्वरूप में कोई परिवर्तन करेगा। उक्त वाहन पंजीकृत स्वामी की सुपुर्दगी में दिया जावे।

सम्बन्धित थानाध्यक्ष को निर्देशित किया जाता है कि उक्त वाहन को यदि वह किसी अन्य मामले में वांछित न हो तो पंजीकृत स्वामी की सुपुदर्गी में दे देवें।

दिनांक 02.04.2026

विमलेश सरोज
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
मैनपुरी

आशीष प्रजापति,
पी.ए.

VIMLESH SAROJ

Digitally signed by VIMLESH SAROJ
Date: 2026.04.02 16:27:17 +0530